न्यायालय सहायक कलक्टर (Fast-Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 12/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 चुनीलाल पुत्र हरजीराम 2 दरिया कुमारी 3 पुष्पा कुमारी 4 दमी कुमारी 5 चुनी कुमारी 6 दुर्गा कुमारी पुत्रियां हरजीराम 7 शान्तीदेवी पत्नी हरजीराम जाति जाट निवासी साजन की ढाणी, सणपा मानजी तहसील सिणधरी हाल निवासी पुनियों की बस्ती, आदर्श चवा तहसील व जिला बाडमेर प्रार्थी संख्या 01 से 06 नाबालिग की कुदरती वलिया माता प्रार्थीनी संख्या 07 शान्तीदेवी पत्नी हरजीराम।		1 बागाराम पुत्र खरथाराम 2 रमेश पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी साजन की ढाणी, सणपा मानजी तहसील सिणधरी 3 जगाराम पुत्र खरथाराम जाति जाट निवासी पुनियों की बस्ती, आदर्श चवा, तहसील व जिला बाडमेर 4 शाखा प्रबन्धक, आरएमजीबी शाखा चवा 7 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :— 1 श्री चेतनराम सारण, वकील प्रार्थीगण।
2 श्री मोहनलाल चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02।

निर्णय

दिनांक 18/09/20

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 92, 188 व 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 776 रकबा 01.03 बीघा, खसरा संख्या 1263/778 रकबा 47.17 बीघा, खसरा संख्या 1266/777 रकबा 0.09 बीघा व खसरा संख्या 1270/1057 रकबा 10.05 बीघा कुल रकबा 59.14 बीघा भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की पैतृक व संयुक्त कब्जा—काश्त की भूमि आई हुई है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के पिता खरथाराम से विरासतन में प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 01, अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के बहकावे में आकर बेचान करने पर उतारू है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 खरथाराम के वारिसान है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से अधिकार निहित है। उक्त पैतृक भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 का नाम रेकर्ड में होने से प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी पैतृक सहदायकी भूमि से वंचित करने के लिए राजस्व रेकर्ड की अनुचित प्रविष्टियों का [illegible] करने पर उतारू है। अप्रार्थी संख्या 01 के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की जारी की जावे कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का [illegible] न करे और न ही भूमि का रहन, बय, हस्तान्तरण करे, मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:31:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नॉटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 02 के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण कोई जवाब प्रस्तुत करना नही चाहते है, बहस करना चाहते है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त पैतृक़ अविभाजित भूमि मौजा पुनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 776 रकबा 01.03 बीघा, खसरा संख्या 1263/778 रकबा 47.17 बीघा, खसरा संख्या 1266/777 रकबा 0.09 बीघा व खसरा संख्या 1270/1057 रकबा 10.05 बीघा कुल रकबा 59.14 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हित निहित है। अप्रार्थी संख्या 01, अप्रार्थी संख्या 02 के बहकावे में आकर अभिलेख का अनुचित लाभ लेकर वादग्रस्त भूमि को बेचान करने पर उतारू है यदि अप्रार्थी संख्या 01 उसमे सफल होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा उसके अधिकारों से उसको वंचित रहना पड़ेगा। लिहाजा प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमे हिस्से खुले हुए है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरा के अनुसार यदि वाद प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होता है तो भी उसे वादग्रस्त भूमि का 1/9 हिस्सा प्राप्त होगा। प्रार्थीगण का उसके हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नही है। लिहाजा सम्पूर्ण भूमि में वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादगस्त भूमि पैतृक अविभाजित भूमि है, जिसमे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा के अनुसार प्रार्थीगण का 1/9 हिस्सा निहित है। उक्त 1/9 हिस्सा तक प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि उक्त भूमि का बेचान अजनबी को हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा पुनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या [illegible] 01.03 बीघा, खसरा संख्या 1263/778 रकबा 47.17 बीघा, खसरा संख्या 1266 [illegible] रकबा 0.09 बीघा व खसरा संख्या 1270/1057 रकबा 10.0[illegible] 14 बीघा भूमि के 1/9 हिस्से तक अप्रार्थी संख्या 01 रिकॉर्ड की यथा स्थिति बन[illegible] रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:51:40 IST
Reason: SelfAttested

(प्रशान्त शर्मा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 10/02/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर